

**ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024  
भाग-एक**

**1. प्रस्तावना**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01.04.22 से 31.03.24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-**

**प्रधान:-**

| क्रम संख्या | नाम             | अवधि                 |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 1.          | श्री चन्द्र देव | 01-04-22 से 31-03-24 |

**सचिव :-**

| क्रम संख्या | नाम            | अवधि                 |
|-------------|----------------|----------------------|
| 1.          | श्री शुभाष चंद | 01-04-22 से 31-03-24 |

**{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत सूरजपुर के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

| क्रम संख्या | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार                                                           | राशि (₹ लाखों में) |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.          | 4.2      | रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अन्तर पाया जाना | 0.08               |
| 2.          | 5        | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना                                              | 5.87               |

|    |    |                                                                                                                                                            |       |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. | 6  | प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में अंतर पाया जाना                                                                            | 14.31 |
| 4. | 7  | गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना                                                                            | 0.56  |
| 5. | 9  | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना                                                                           | 0.12  |
| 6. | 10 | खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि | 0.47  |
| 7. | 11 | मजदूरी के रूप में अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे                                                                                                          | 0.09  |
| 8. | 12 | क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना                                                                  | 18.65 |

#### (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शाई गई है :-

#### 1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2018 से 03/2020" तक

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | पैरा स्थिति | टिप्पणी                                    |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1           | पैरा 3      | निर्णीत     | अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त। |
| 2           | पैरा 4      | अनिर्णीत    |                                            |
| 3           | पैरा 4.2    | अनिर्णीत    |                                            |
| 4           | पैरा 5      | अनिर्णीत    |                                            |

|    |         |          |                                               |
|----|---------|----------|-----------------------------------------------|
| 5  | पैरा 6  | अनिर्णीत |                                               |
| 6  | पैरा 7  | अनिर्णीत |                                               |
| 7  | पैरा 8  | अनिर्णीत |                                               |
| 8  | पैरा 9  | निर्णीत  | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित |
| 9  | पैरा 10 | अनिर्णीत |                                               |
| 10 | पैरा 11 | निर्णीत  | वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित |
| 11 | पैरा 12 | अनिर्णीत |                                               |
| 12 | पैरा 13 | अनिर्णीत |                                               |
| 13 | पैरा 14 | अनिर्णीत |                                               |
| 14 | पैरा 15 | अनिर्णीत |                                               |
| 15 | पैरा 16 | अनिर्णीत |                                               |
| 16 | पैरा 17 | अनिर्णीत |                                               |
| 17 | पैरा 18 | अनिर्णीत |                                               |
| 18 | पैरा 19 | अनिर्णीत |                                               |
| 19 | पैरा 20 | अनिर्णीत |                                               |

## भाग - दो

### 2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03/2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-04-2024 से 25-04-2024 के दौरान ग्राम पंचायत सूरजपुर के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

| वित्तीय वर्ष | आय    | व्यय  |
|--------------|-------|-------|
| 2022-23      | 04/22 | 05/22 |
| 2023-24      | 03/24 | 06/23 |

**अस्वीकरण:-** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600/-** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 228 दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूरजपुर से अनुरोध किया गया।

### 4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

**{क} स्व: स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत सूरजपुर के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष    | अथशेष    | प्राप्ति | योग       | व्यय     | अन्तिम शेष |
|---------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 2022-23 | 61178.26 | 19961.00 | 81139.26  | 30949.00 | 50190.26   |
| 2023-24 | 50190.26 | 95528.00 | 145718.26 | 50421.00 | 95297.26   |

**{ख} अनुदान:-** ग्राम पंचायत सूरजपुर के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

| वर्ष    | अथशेष      | प्राप्ति   | योग        | व्यय       | अन्तिम शेष |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2022-23 | 1565554.48 | 7078460.68 | 8644015.16 | 7171850.68 | 1472164.48 |
| 2023-24 | 1472164.48 | 2770397.89 | 4242562.37 | 3655397.89 | 587164.48  |

**{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

| क्रम संख्या | शीर्ष                    | बैंक का नाम              | खाता संख्या    | राशि             |
|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| 1.          | General/5TH FC/VKVNY/SDP | KCCB INDORA              | 20076007328    | 151311.16        |
| 2.          | General/VKVNY            | KCCB DAMTAL              | 50055824182    | 26646.60         |
| 3.          | 15TH FC                  | CANARA BANK INDORA       | 5337101001834  | 413601.00        |
| 4.          | TSC                      | KCCB DAMTAL              | 50055824126    | 9.50             |
| 5.          | GENERAL/RAY              | KCCB DAMTAL              | 50055824160    | 1099.00          |
| 6.          | MPLAD                    | SBI KANDRORI             | 55100095435    | 9682.98          |
| 7.          | 3RD FC                   | KCCB DAMTAL              | 50055824115    | 1297.50          |
| 8.          | RGSA                     | INDUSIND BANK DHARMSHALA | 100174326309   | 86994.00         |
|             |                          |                          | हस्तगत रोकड़   | 523.00           |
|             |                          |                          | <b>कुल योग</b> | <b>691164.74</b> |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी:-**

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष                                      | 691164.74      |
| दिनांक 31-03-24 को पैरा-4 में दर्शाई वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष<br>(क+ख) | 682461.74      |
| <b>अंतर</b>                                                                  | <b>8703.00</b> |

#### 4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.08 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पैरा 4.1 में उल्लेखित विवरणी से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को ₹8703.00 की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 226(1) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूरजपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

#### 4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

#### 4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ है।

अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

#### 5. अनुदान राशि ₹5.87 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना “परिशिष्ट-1” के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹587164.48 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है की विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226(2) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूरजपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्युत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके, उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

**6. प्रियासॉफ्ट में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹13.15 लाख का अंतर पाया जाना :-**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E- Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि. प्र. कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ – साथ हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत e-panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा प्रिया सॉफ्ट (computerised) दोनों माध्यम से किया जा रहा तथा जो लेखें Priya Soft में बनाये जा रहें है वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही खातों से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप परस्पर आंकड़ों में राशि ₹1315431.65 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

**(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक प्राप्ति /व्यय में अंतर (Except MNREGA)**

| क्रम स. | वर्ष    | प्राप्ति              |                     |        | भुगतान                |                     |        |
|---------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
|         |         | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर   | प्रियासॉफ्ट के अनुसार | रोकड़ बही के अनुसार | अंतर   |
| 1       | 2022-23 | 2318867.00            | 2919663.00          | 600796 | 2886574.00            | 3024041.00          | 137467 |
| 2       | 2023-24 | 1131090.00            | 1594093.00          | 463003 | 1626019.00            | 2433986.00          | 807967 |

**(ख) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए बैंक शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)**

| वर्ष    | प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष                 | बैंक पासबुक के अनुसार शेष + (CASH IN HAND) | अंतर       |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 2023-24 | 1919201.39 + 87395 (Cash in Hand) = 2006596.39 | 691164.74                                  | 1315431.65 |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 226(4) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.56 लाख का पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात् गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹55675 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

**सम्पति कर:-**

| वर्ष    | पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर | आ. शेष | मांग  | योग    | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---------|----------------------------|----|--------|-------|--------|----------|---------------------|
| 2022-23 | 800                        | 50 | 56825  | 40000 | 96825  | 0        | 96825               |
| 2023-24 | 816                        | 50 | 96825  | 40800 | 137625 | 81950    | 55675               |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मनरेगा व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके।

अतः गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 226(3) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

#### 8. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति समान (Same) दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गई थी, जो कि अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम | मस्ट्रोल संख्या/अवधि                       | निर्माण कार्य का नाम                     | मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि | पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि | मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि | मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | सुमना देवी       | ..... 218.....<br>16.05.2023 से 31.05.2023 | C/O of kuhal purani sadak to indora road | 24.05.2023                    | 24.05.2023                       | 500                                 | 240                                              |
| 2.          | सुमना देवी       | ..... 378.....<br>05.06.2023 से 05.06.2023 | C/O of kuhal purani sadak to indora road | 05.06.2023                    | 05.06.2023                       | 500                                 | 240                                              |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 226(5) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.12 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-**

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाना अपेक्षित है:-

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1           | 2022-23      | 4400                                         |
| 2           | 2023-24      | 7600                                         |
| कुल योग     |              | 12000                                        |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 226(6) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत

नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**10. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.47 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹46725/- का अनियमित भुगतान किया गया था:-

| नाम            | मात्रा (cum) | फैक्टर | कुल मात्रा | दर (प्रति टन) | राशि         |
|----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|
| रेत            | 125.00       | 1.62   | 202.50     | 80            | 16200        |
| बजरी           | 119.50       | 1.52   | 181.64     | 80            | 14531        |
| पत्थर          | 27.50        | 2.24   | 61.60      | 80            | 4928         |
| रेत            | 4            | 1.62   | 6.48       | 80            | 518          |
| बजरी           | 4            | 1.52   | 6.08       | 80            | 486          |
| पत्थर          | 4            | 2.24   | 8.96       | 80            | 717          |
| <b>कुल योग</b> |              |        |            |               | <b>37380</b> |
| पेनल्टी 25%    |              |        |            |               | <b>9345</b>  |
| <b>कुल योग</b> |              |        |            |               | <b>46725</b> |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227(7) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना

में उनके प्रतिउत्तर संख्या क्रमांक 01/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ₹46725/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

#### 11. मजदूरी के रूप में ₹0.09 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन संशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या FIN-(PR)B(7)-33/2010 दिनांक 16.04.2021 व अधिसूचना संख्या FIN-(PR)B(7)-33/2010 दिनांक 05.04.2022 द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया था व मजदूरी दर निर्धारित की गई थी।

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या 04 दिनांक 12.05.2022 व वाउचर संख्या 06 दिनांक 18.05.2022 (15 वां वित्त आयोग) की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित मजदूरों को उक्त अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मजदूरी दर से अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रम संख्या | वाउचर संख्या/ दिनांक | मस्टरोल संख्या/ अवधि           | आवेदक (मजदूरों) के नाम | आवेदक (मजदूरों) की कुल उपस्थिति | भुगतान की गई मजदूरी दर | भुगतान की गई राशि (A) | उक्त अधिसूचना के अनुसार भुगतान की जाने योग्य मजदूरी दर | उक्त अधिसूचना के अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (B) | अधिक भुगतान (A-B) |
|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.          | 04 दिनांक 12.05.2022 | 5368/ 03.03.2022 से 30.03.2022 | बुआ दास (मिस्त्री)     | 27                              | 421                    | 11367                 | 346                                                    | 9342                                                  | 2025              |
|             |                      |                                | हेम लता (मिस्त्री)     | 27                              | 421                    | 11367                 | 346                                                    | 9342                                                  | 2025              |

|         |                         |                                         |                            |    |     |       |     |       |      |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----|-----|-------|-----|-------|------|
|         |                         |                                         | ओम राज<br>(मजदूर)          | 27 | 350 | 9450  | 300 | 8100  | 1350 |
|         |                         |                                         | रंजू बाला<br>(मजदूर)       | 27 | 350 | 9450  | 300 | 8100  | 1350 |
|         |                         |                                         | अश्वनी<br>कुमार<br>(मजदूर) | 24 | 350 | 8400  | 300 | 7200  | 1200 |
| 2.      | 06 दिनांक<br>18.05.2022 | 5369/<br>05.04.2022<br>से<br>30.04.2022 | कृष्ण चंद<br>(मिस्त्री)    | 24 | 421 | 10104 | 396 | 9504  | 600  |
|         |                         |                                         | अनीता देवी<br>(मजदूर)      | 24 | 350 | 8400  | 350 | 8400  | 0    |
|         |                         |                                         | कुंदन कुमार<br>(मिस्त्री)  | 27 | 421 | 11367 | 396 | 10692 | 675  |
| कुल योग |                         |                                         |                            |    |     |       |     |       | 9225 |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 227(11) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उक्त दृष्टांत मामलों में देय मजदूरी की दर से अधिक दर पर अदायगी हेतु अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा अंकेक्षणावधि में किये ऐसे अन्य भुगतानों की संस्थास्तर पर विस्तृत जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 12. क्रय किये गये सामान राशि ₹18.65 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1865176/- के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था :-

| क्रम संख्या | बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह     | भुगतान की तिथि | फर्म का नाम                    | विवरण  | मात्रा     | बिल की राशि |
|-------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
| 1.          | <b>106</b> , दिनांक 03.03.22 | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | रेत    | 5 cubm     | 6000        |
| 2.          | <b>107</b> , दिनांक 03.03.22 | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 5 cubm     | 6000        |
| 3.          | <b>103</b> , दिनांक 03.03.22 | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | रेत    | 2 cubm     | 2400        |
| 4.          | <b>104</b> , दिनांक 03.03.22 | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 3 cubm     | 3600        |
| 5.          | 92, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | रेत    | 3 cubm     | 3600        |
| 6.          | 92, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 3 cubm     | 3600        |
| 7.          | 97, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | रेत    | 2 cubm     | 2400        |
| 8.          | 98, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 2 cubm     | 2400        |
| 9.          | 86, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | रेत    | 7 cubm     | 8400        |
| 10.         | 87, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 39.50 cubm | 47400       |
| 11.         | 23, दिनांक 09.03.22          | 21.05.2022     | मै. ओम इंटरप्राइजेज            | टाइल्स | 3000 nos   | 49500       |
| 12.         | 25, दिनांक 09.03.22          | 21.05.2022     | मै. ओम इंटरप्राइजेज            | टाइल्स | 600 nos    | 9900        |
| 13.         | 24, दिनांक 09.03.22          | 21.05.2022     | मै. ओम इंटरप्राइजेज            | टाइल्स | 3000 nos   | 49500       |
| 14.         | 06, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 4.50 cubm  | 4725        |
| 15.         | 05, दिनांक 03.03.22          | 17.05.2022     | मै. बलवान सिंह Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 27 cubm    | 32400       |

|     |                           |            |                                   |        |         |       |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---------|-------|
| 16. | 04, दिनांक<br>03.03.22    | 17.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 15 cubm | 18000 |
| 17. | 02, दिनांक<br>03.03.22    | 17.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 24 cubm | 28800 |
| 18. | 01, दिनांक<br>03.03.22    | 17.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 22 cubm | 26400 |
| 19. | 120, दिनांक<br>03.03.22   | 17.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 5 cubm  | 6000  |
| 20. | 121, दिनांक<br>03.03.22   | 17.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 5 cubm  | 6000  |
| 21. | 23845, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 3 बैग   | 1073  |
| 22. | 23840, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 14 बैग  | 5006  |
| 23. | 23841, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 18 बैग  | 6436  |
| 24. | 23842, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 15 बैग  | 5363  |
| 25. | 23843, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 112 बैग | 40045 |
| 26. | 23844, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 183 बैग | 65430 |
| 27. | 6100, दिनांक<br>28.03.22  | 21.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 136 बैग | 48625 |
| 28. | 31256, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 212 बैग | 75798 |
| 29. | 31253, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 170 बैग | 60782 |
| 30. | 31255, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 140 बैग | 53273 |
| 31. | 6098, दिनांक<br>09.03.22  | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 230 बैग | 82234 |
| 32. | 6097, दिनांक<br>09.03.22  | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 215 बैग | 76871 |
| 33. | 31257, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाय      | सीमेंट | 90 बैग  | 32179 |
| 34. | 6099, दिनांक              | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.                      | सीमेंट | 154 बैग | 55061 |

|     |                           |            |                                   |        |          |       |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------------------|--------|----------|-------|
|     | 09.03.22                  |            | सिविल सप्लाई                      |        |          |       |
| 35. | 31254, दिनांक<br>09.03.22 | 17.05.2022 | मै. हि. प्र.<br>सिविल सप्लाई      | सीमेंट | 193 बैग  | 69005 |
| 36. | 130, दिनांक<br>23.03.22   | 21.05.2022 | मै. सूद<br>इंटरलॉकिंग<br>टाइल्स   | बजरी   | 8 cubm   | 9600  |
| 37. | 113, दिनांक<br>23.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 15 cubm  | 18000 |
| 38. | 19, दिनांक<br>23.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 40 cubm  | 48000 |
| 39. | 14, दिनांक<br>28.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 28 cubm  | 33600 |
| 40. | 18, दिनांक<br>23.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 25 cubm  | 30000 |
| 41. | 20, दिनांक<br>28.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 5 cubm   | 6000  |
| 42. | 24, दिनांक<br>23.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 25 cubm  | 30000 |
| 43. | 25, दिनांक<br>28.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 40 cubm  | 48000 |
| 44. | 15, दिनांक<br>23.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 15 cubm  | 18000 |
| 45. | 16 दिनांक<br>28.03.22     | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 32 cubm  | 38400 |
| 46. | 17 दिनांक<br>28.03.22     | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 5 cubm   | 5000  |
| 47. | 21, दिनांक<br>23.03.22    | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | रेत    | 15 cubm  | 18000 |
| 48. | 22 दिनांक<br>28.03.22     | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 32 cubm  | 38400 |
| 49. | 23 दिनांक<br>28.03.22     | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांटेक्टर | बजरी   | 5 cubm   | 5000  |
| 50. | 44, दिनांक<br>28.03.22    | 17.05.2022 | मै. ओम<br>इंटरप्राइजेज            | टाइल्स | 3000 nos | 49500 |
| 51. | 47, दिनांक<br>28.03.22    | 17.05.2022 | मै. ओम<br>इंटरप्राइजेज            | टाइल्स | 1510 nos | 24915 |
| 52. | 07 दिनांक                 | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह                    | रेत    | 25 cubm  | 30000 |

|         |                         |            |                                     |        |          |         |
|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------|--------|----------|---------|
|         | 28.03.22                |            | Govt. कांट्रेक्टर                   |        |          |         |
| 53.     | 08 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 40 cubm  | 48000   |
| 54.     | 10 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 5 cubm   | 5000    |
| 55.     | 09 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 5 cubm   | 6000    |
| 56.     | 28 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | रेत    | 8 cubm   | 9600    |
| 57.     | 29 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 15 cubm  | 18000   |
| 58.     | 30 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 15 cubm  | 15000   |
| 59.     | 48, दिनांक<br>28.03.22  | 17.05.2022 | मै. ओम<br>इंटरप्राइजेज              | टाइल्स | 2967 nos | 48955   |
| 60.     | 45, दिनांक<br>28.03.22  | 17.05.2022 | मै. ओम<br>इंटरप्राइजेज              | टाइल्स | 3000 nos | 49500   |
| 61.     | 46, दिनांक<br>28.03.22  | 17.05.2022 | मै. ओम<br>इंटरप्राइजेज              | टाइल्स | 3000 nos | 49500   |
| 62.     | 732, दिनांक<br>05.10.21 | 17.05.2022 | मै. चिनार ट्रेडिंग<br>कंस्ट्रक्शन   | Bricks | 2000 nos | 15000   |
| 63.     | 32 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 40 cubm  | 48000   |
| 64.     | 31 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | रेत    | 25 cubm  | 30000   |
| 65.     | 33 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | बजरी   | 10 cubm  | 12000   |
| 66.     | 11 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | रेत    | 20 cubm  | 24000   |
| 67.     | 12 दिनांक<br>28.03.22   | 21.05.2022 | मै. बलवान सिंह<br>Govt. कांट्रेक्टर | रेत    | 35 cubm  | 42000   |
| कुल योग |                         |            |                                     |        |          | 1865176 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227(10) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**13. 5<sup>th</sup> FC शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से ₹0.29 लाख का अधिक व्यय करने बारे**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट-1** अनुसार दिनांक 31-03-24 तक पंचायत द्वारा **5<sup>th</sup> FC शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान** राशि से अधिक राशि खर्च कर ली गई थी, जोकि अनियमित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रम संख्या | शीर्ष  | राशि     |
|-------------|--------|----------|
| 1           | 5th FC | 28650.00 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227(13) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या क्रमांक 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः यह स्पष्ट किया जाये कि जो राशि पांचवें वित्त आयोग की प्राप्त राशि से अधिक खर्च की गई थी, वह किस प्राधिकारी के किन आदेशों से व किस निधि से की गई थी तथा उसकी प्रतिपूर्ति करके उसी निधि जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस निधि से इसका खर्चा किया गया था तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये व भविष्य में समुचित कार्यवाही अर्थात् प्रस्ताव आदि पारित करने एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त ही ऐसे मामलों में व्यय करना सुनिश्चित करें।

**14. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

| क्र° स° | वर्ष    | चयनित माह | चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि |
|---------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 1.      | 2022-23 | 05/22     | 2482886.00                            |
| 2.      | 2023-24 | 06/23     | 580705.89                             |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 227(8) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

#### 15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/22 व 06/23 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 05/22 व 06/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 221ख(7) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**16. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा/से नमूना जाँच व सत्यापन न करना/करवाना :-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मों की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मों के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम                                      | शीर्ष  | स्वीकृत राशि | माप पुस्तिका व पेज संख्या |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|
| 1.          | C/O Mokshdham ground chardiwari etc. mokshdham nichla .   | मनरेगा | 300000       | 12687/88-89               |
| 2.          | C/O Road and danga near Mukesh etc. land ward no. 2       | मनरेगा | 300000       | 12687/66-68               |
| 3           | C/O Rasta tiles PWD road to Shamshan Ghat Surajpur Uprla. | मनरेगा | 300000       | 13069/64-65               |
| 4           | C/O Rasta and Protection wall gali to Hansh raj           | मनरेगा | 300000       | 13069/66,82,85            |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 227(9) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउत्तर संख्या क्रमांक 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**17. विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| क्र. स. | रजिस्टर/अभिलेख                                                                 | फॉर्म संख्या | सन्दर्भित नियम |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1       | निवेश रजिस्टर                                                                  | 1            | 12             |
| 2       | मासिक बैंक समाधान विवरणी                                                       | ---          | 15(1)          |
| 3       | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर                                                     | 9            | 30             |
| 4       | रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर                                                  | ---          | 31             |
| 5       | मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर                                                      | 10           | 33 व 77(14)    |
| 6       | सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997                   | 8            | 34             |
| 7       | बिल रजिस्टर                                                                    | 13           | 48             |
| 8       | डाक टिकट रजिस्टर                                                               | 24           | 61 (2)         |
| 9       | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्ट्रों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना | 25 व 26      | 72(1) (ए,बी)   |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 227(12) दिनांक 25.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/2024 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

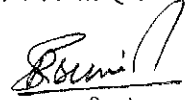
**18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

**19. लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

**20. निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।



(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

2961-2965

का०/प्र०

26 JUN 2024

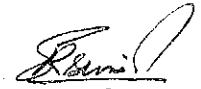
पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15)(2)281/2021-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत सूरजपुर, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 JUN 2024

का०/प्र०



(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

**BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT INDORA PINCODE 176403**

| YEAR    | Opening Balances | Receipts | Total    | Expenditure | Closing Balances |
|---------|------------------|----------|----------|-------------|------------------|
| 2022-23 | 61178.26         | 19961.00 | 81139.26 | 30949.00    | 50190.26         |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

61178.26

**BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA PINCODE 176403**

| YEAR    | Opening Balances | Receipts | Total     | Expenditure | Closing Balances |
|---------|------------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| 2023-24 | 50190.26         | 95528.00 | 145718.26 | 50421.00    | 95297.26         |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK

50190.26

*[Signature]*

  
**PRADHAN**  
 GRAM PANCHAYAT SURAJPUR  
 BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA H.P.  
*SEK*  
*Prisee*

*Prisee*  
*5.8*

*[Signature]*

*[Signature]*



**FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP SURAJ PUR BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2022-23**

| S.NO. | Head         | Opening Balances  | Reciepts          | Total             | Expenditure       | Closing Balances  |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 14TH FC      | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 2     | MGNREGA      | 0                 | 4178758.68        | 4178758.68        | 4178758.68        | 0.00              |
| 3     | PMKSY        | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 4     | 5TH FC       | 10500             | 238800.00         | 249300.00         | 273350            | -24050.00         |
| 5     | NRHM         | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 6     | MPLAD        | 9236.98           | 188.00            | 9424.98           | 0.00              | 9424.98           |
| 7     | RGSA         | 0                 | 411341.00         | 411341.00         | 0.00              | 411341.00         |
| 8     | VKVNY        | 67517.00          | 305000.00         | 372517.00         | 369757            | 2760.00           |
| 9     | SDRF         | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 10    | IWDP         | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11    | TSC          | 878.50            | 16.00             | 894.50            | 885.00            | 9.50              |
| 12    | PMAGY        | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 13    | SBM          | 0                 | 150000.00         | 150000.00         | 150000.00         | 0.00              |
| 14    | SDP          | 0                 | 19892.00          | 19892.00          | 0.00              | 19892.00          |
| 15    | MMGPY        | 0                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 16    | 15TH FC      | 1477422.00        | 1774465.00        | 3251887.00        | 2199100.00        | 1052787.00        |
|       | <b>TOTAL</b> | <b>1565554.48</b> | <b>7078460.68</b> | <b>8644015.16</b> | <b>7171850.68</b> | <b>1472164.48</b> |

**FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP SURAJ PUR BLOCK INDORA FOR THE YEAR 2023-24**

| S.NO. | Head         | Opening Balances  | Reciepts          | Total             | Expenditure       | Closing Balances |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 14TH FC      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 2     | MGNREGA      | 0.00              | 1271832.89        | 1271832.89        | 1271832.89        | 0.00             |
| 3     | PMKSY        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 4     | 5TH FC       | -24050.00         | 292600            | 268550.00         | 297200            | -28650.00        |
| 5     | NRHM         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 6     | MPLAD        | 9424.98           | 258               | 9682.98           | 0                 | 9682.98          |
| 7     | RGSA         | 411341.00         | 6657.00           | 417998.00         | 331004.00         | 86994.00         |
| 8     | VKVNY        | 2760.00           | 184164            | 186924.00         | 157340            | 29584.00         |
| 9     | SDRF         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 10    | IWDP         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 11    | TSC          | 9.50              | 0.00              | 9.50              | 0.00              | 9.50             |
| 12    | PMAGY        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 13    | SBM          | 0.00              | 300000.00         | 300000.00         | 300000.00         | 0.00             |
| 14    | SDP          | 19892.00          | 160000.00         | 179892.00         | 95199.00          | 84693.00         |
| 15    | MMGPY        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| 16    | 15TH FC      | 1052787.00        | 554886.00         | 1607673.00        | 1202822.00        | 404851.00        |
|       | <b>TOTAL</b> | <b>1472164.48</b> | <b>2770397.89</b> | <b>4242562.37</b> | <b>3655397.89</b> | <b>587164.48</b> |

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK

1472164.48

*(Signature)*  
BRACHMAN  
OFFICE IN CHARGE SURAJPUR  
BLOCK INDORA, KANGRA H.P.

*(Signature)*  
SECY  
PISCC

25

*(Signature)*  
OP

परीक्षित - २७ मर ७ के २४३९ रु

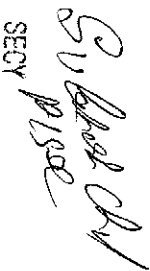
HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

| YEAR    | NUMBER OF HOUSEHOLD | RATE | O. BAL | DEMAND | TOTAL | COLLECTION | C. BAL |
|---------|---------------------|------|--------|--------|-------|------------|--------|
| 2022-23 | 800                 | 50   | 56825  | 40000  | 96825 | 0          | 96825  |

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA

| YEAR    | NUMBER OF HOUSEHOLD | RATE | O. BAL | DEMAND | TOTAL  | COLLECTION | C. BAL |
|---------|---------------------|------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 2023-24 | 816                 | 50   | 96825  | 40800  | 137625 | 81950      | 55675  |

  
 PRADHAN  
 GRAM PANCHAYAT SURAJ PUR  
 DISTRICT KANGRA

  
 SECY  
 P/SO

  
 Dim  
 5-8



| BANK DETAIL OF GP SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA |                          |                    |               |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22           |                          |                    |               |            |
| S.NO                                                     | HEAD                     | BANK NAME          | ACCOUNT NO    | AMOUNT     |
| 1                                                        | General/5TH FC/VKVNY/SDP | KCCB INDORA        |               |            |
| 2                                                        | General/VKVNY            | KCCB DAMTAL        | 20076007328   | 79445.16   |
| 3                                                        | 15TH FC                  | CANARA BANK INDORA | 50055824182   | 57031.60   |
| 4                                                        | TSC                      | KCCB DAMTAL        | 5337101001834 | 1477422.00 |
| 5                                                        | GENERAL/RAY              | KCCB DAMTAL        | 50055824126   | 878.50     |
| 6                                                        | MPLAD                    | SBI KANDRORI       | 50055824160   | 1038.00    |
| 7                                                        | 3RD FC                   | KCCB DAMTAL        | 55100095435   | 9236.98    |
|                                                          |                          |                    | 50055824115   | 1230.50    |
|                                                          |                          | CASH IN HAND       |               | 450.00     |
|                                                          |                          | TOTAL              |               | 1626732.74 |

| CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23 |                          |                    |               |            |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| S.NO                                           | HEAD                     | BANK NAME          | ACCOUNT NO    | AMOUNT     |
| 1                                              | General/5TH FC/VKVNY/SDP | KCCB INDORA        |               |            |
| 2                                              | General/VKVNY            | KCCB DAMTAL        | 20076007328   | 45260.16   |
| 3                                              | 15TH FC                  | CANARA BANK INDORA | 50055824182   | 2813.60    |
| 4                                              | TSC                      | KCCB DAMTAL        | 5337101001834 | 1059587.00 |
| 5                                              | GENERAL/RAY              | KCCB DAMTAL        | 50055824126   | 6.50       |
| 6                                              | MPLAD                    | SBI KANDRORI       | 50055824160   | 1067.00    |
| 7                                              | 3RD FC                   | KCCB DAMTAL        | 55100095435   | 9424.98    |
|                                                |                          |                    | 50055824115   | 1257.50    |
|                                                | RGSA                     | INDUSIND BANK      |               |            |
|                                                |                          | DHARM SHALA        | 100174326309  | 411341.00  |
|                                                |                          | CASH IN HAND       |               | 450.00     |
|                                                |                          | TOTAL              |               | 1531207.74 |

| BANK DETAIL OF GP SURAJ PUR BLOCK INDORA DISTRICT KANGRA |                          |                    |               |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24           |                          |                    |               |           |
| S.NO                                                     | HEAD                     | BANK NAME          | ACCOUNT NO    | AMOUNT    |
| 1                                                        | General/5TH FC/VKVNY/SDP | KCCB INDORA        | 20076007328   | 151311.16 |
| 2                                                        | General/VKVNY            | KCCB DAMTAL        | 50055824182   | 26646.60  |
| 3                                                        | 15TH FC                  | CANARA BANK INDORA | 5337101001834 | 413601.00 |
| 4                                                        | TSC                      | KCCB DAMTAL        | 50055824126   | 9.50      |
| 5                                                        | GENERAL/RAY              | KCCB DAMTAL        | 50055824160   | 1099.00   |
| 6                                                        | MPLAD                    | SBI KANDRORI       | 55100095435   | 9682.98   |
| 7                                                        | 3RD FC                   | KCCB DAMTAL        | 50055824115   | 1297.50   |
| 8                                                        | RGSA                     | INDUSIND BANK      |               |           |
|                                                          |                          | DHARM SHALA        | 100174326309  | 86994.00  |
|                                                          |                          | CASH IN HAND       |               | 523.00    |
|                                                          |                          | TOTAL              |               | 691164.74 |

*[Signature]*  
 PRADHAN  
 GRAM PANCHAYAT SURAJPUR  
 DEV. BLOCK INDORA, KANGRA H.P.

*[Signature]*  
 SECY  
 DISTRICT

*[Signature]*  
 JA